न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर जिला ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी प्र0क्र0 ..../2015

338

निग/3847-II-15

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. केदार सिंह उर्फ केदारनाथ सिंह उम्र लगभग 57 वर्ष पिता स्व0 श्री रामस्वरूप सिंह पेशा नौकरी निवासी थथौरा तह0 कोटर जिला सतना म0प्र0 हाल निवास बी2-69 सेक्टर बी एन0सी0एल0 दुंद्धीचुवा तह0 सिंगरौली जिला सिंगरौली म0प्र0

2. रामसिंह पिता स्व0 श्री रामस्वरूप सिंह उम्र 44 वर्ष पेशा कृषि निवासी थथौरा तह0 कोटर जिला सतना म0प्र0 हाल निवास ग्राम रखौंदा तह0 कोटर जिला सतना म0प्र0

3. राजेश सिंह पिता स्व0 श्री रामस्वरूप सिंह उम्र 40 वर्ष पेशा ड्राइवरी निवासी थथौरा तह0 कोटर जिला सतना म0प्र0 हाल निवास आदर्श नगर नई बस्ती गल्ला मंडी के पीछे सतना जिला सतना म0प्र0 .... **निगराकारगण**

बनाम

1. रज्जू सेन पत्नी जगतदेव सेन उम्र लगभग 75 वर्ष निवासी थथौरा तह0 कोटर जिला सतना म0प्र0

2. रामनिवास सेन उर्फ मधुआ सेन पिता जमुना सेन उम्र लगभग 60 वर्ष

3. रामकरण पिता गप्पू सेन उम्र लगभग 45 वर्ष

4. रघुनाथ पिता सूर्यदीन सेन उम्र लगभग 70 वर्ष

क्रमशः...........2

5. भइयालाल पिता रामकुमार सेन उम्र लगभग 60 वर्ष सभी निवासी थथौरा तह0 कोटर जिला सतना म0प्र0 ... गैरनिगराकारगण

निगरानी विरूद्ध प्र0क0 65ए12/11-12 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2012 द्वारा राजस्व निरीक्षक मंडल कोटर तह0 कोटर जिला सतना म0प्र0।

मान्यवर,

निगराकारगण अपने निगरानी के निम्न आधार प्रस्तुत कर विनयी है-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी नं0 288 के मालिक स्वामी निगराकारगण हैं। यह आराजी निगराकारगणों की पुस्तैनी आराजी है एवं आराजी नं0 289 रकवा 0.20 एकड़, आराजी नं0 288 की सीमा से लगी हुई आराजी है। उक्त दोनों आराजियातें स्थित मौजा थथौरा तह0 कोटर जिला सतना म0प्र0 की आराजिया हैं। आराजी नं0 289 रकवा 0.20 एकड़ के मालिक स्वामी गैर निगराकारगण हैं। वर्ष 2012 में निगराकारगण अपने स्वत्व व कब्जे की आराजी नं0 288 रकवा 0.33 एकड़ जिसमें निगराकारगणों के पूर्वजों के द्वारा बनाये हुये मकान हैं तथा

—3

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—3847—दो / 2015 जिला—सतना

केदार सिंह आदि विरूद्ध रज्जू सेन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर
12—03—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन एवं अनावेदक की ओर से श्री आर.एस. सेंगर अभिभाषक उपस्थित । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल कोटर, जिला—सतना के प्रकरण क्रमांक 65 / अ—12 / 2011—12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 05—07—2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। 12/3/19 (आर.के. जैन) सदस्य	